

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं० ०६(॥॥) / २०१६-१७

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

1-119

3/8/16

पदाधिकारी आदेश

कृत का

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक २०७४/रा० दिनांक १३.०५.२०१६ सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- ३ - खा०म०निति - ११९/८५/२३०८/रा० दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - ९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा..... २०२५.....थाना नं० २५.....खाता नं० ३३१
प्लॉट नं०.....रकबा ०.३१.....एकड़ की
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी ॥ के जिल्द सं० ५ के पृष्ठ संख्या ७८५ पर जमाबंदी रैयत - राशमवा मजरा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक १२/८/१६ को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची

11/20

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा ~~३५२५~~ मौजा नं० २५ खाता नं० ३३१ .. प्लॉट नं० रकवा २३१ १/२ से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ॥ के जमाबंदी भोलुम नं० ७८५ के पृष्ठ सं० में रैयत ~~महाराज महाराज~~ के नाम से सा० - कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को रुमाफ किया जाता है। अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

06(11)1.6-17

(15)

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- नासिराज महंत Mr. N. J. Mahant
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-
मौजा खैर थाना सं० 24 खाता सं० 331 प्लॉट सं० आस्पद रकबा 0.3
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 04 पृष्ठ सं० 784 पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - द्वय नहीं
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- नासिराज महंत
6. किस सक्षम प्राधिकार/पक्षधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - द्वय नहीं
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- X
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित रसादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवेध भूबंदोबस्ती - द्वय नहीं)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हरतांनरण पंजी) पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>8775</u>	<u>8775</u>	<u>88-89</u>
	<u>40743</u>	<u>28/5/09</u>	<u>09-10</u>

M
K.C.
C.G.
09